I/1839/2024
I/1839/2024

संख्या 1839/ जी0एस0(शिक्षा) / A3-68 / 2019

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड — देहरादून दिनांक 19 जून, 2024

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्याः 12 दिनांक 08.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0एफ0ए0 (बैचलर ऑफ फाईन आर्ट) पाठ्यक्रम हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2— उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0एफ0ए0 (बैचलर ऑफ फाईन आर्ट)	40 सीट प्रति सत्र	2020–21, 2021–22 एवं 2022–23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- संस्थान में बहुउद्देशीय कक्ष मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखानुसार वर्तमान में संस्थान हेतु उपलब्ध भूमि, ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाम पंजीकृत है जबकि यू0सी0सी0 विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार भूमि, ट्रस्ट अथवा संस्थान के नाम होनी आवश्यक है इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि, अध्यक्ष से संस्थान / ट्रस्ट के नाम पर स्थानांतरित की जाए, यदि इस उपबन्ध का अनुपालन यथाशीघ्र नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम / नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 20/06/2024 12:28 pm

I/1839/2024

पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 19-06-2024 14:12:46

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 1839 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / **A3-68/**2019 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक / प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 20/06/2024 12:28 pm